उत्तम नगर में संवैधानिक मशीनरी के साम्प्रदायिकरण की मिसाल

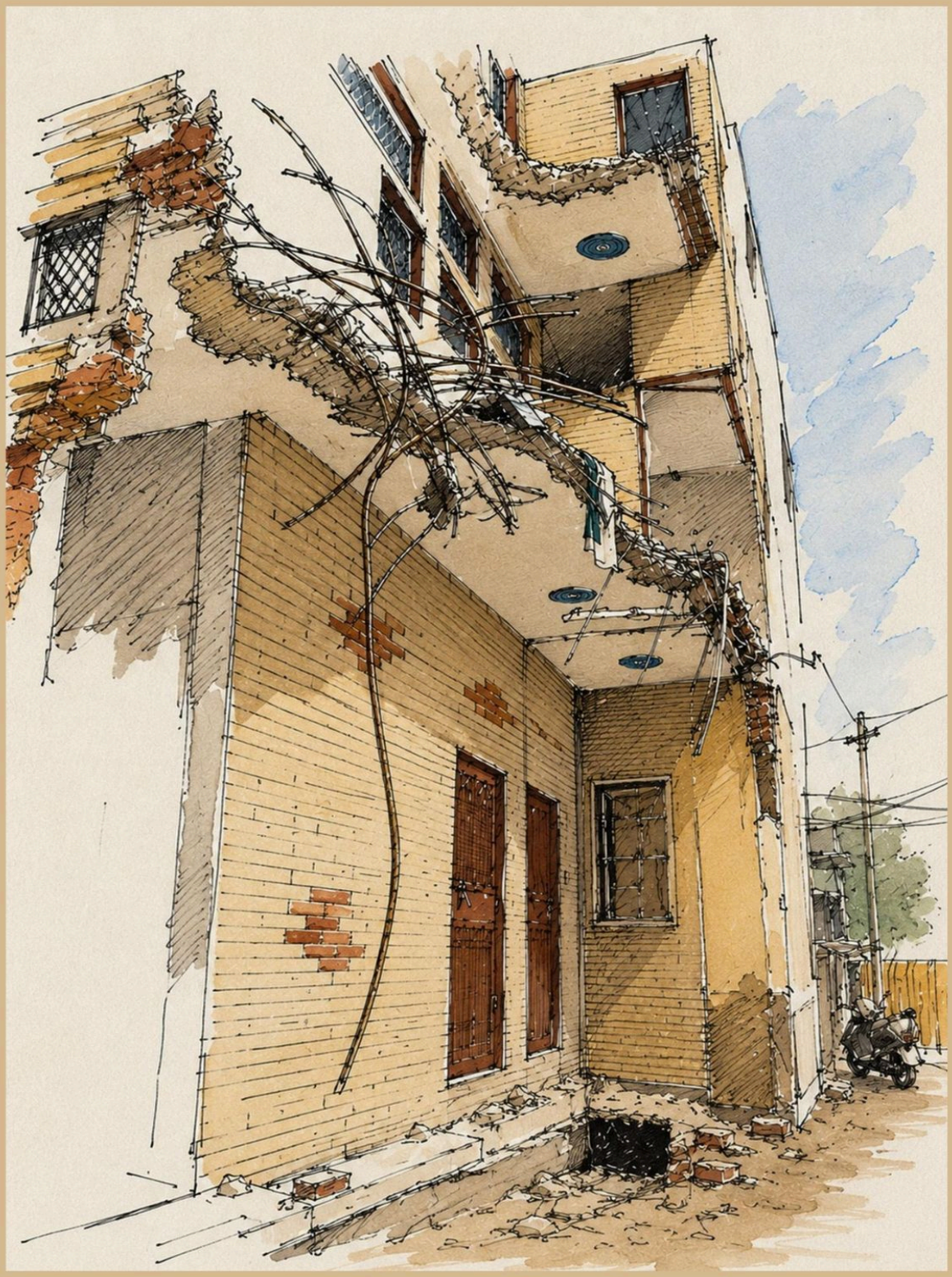

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) दिल्ली, जून 2026

पीयूडीआर के इस अध्ययन की पृष्ठभूमि

साम्प्रदायिक तनाव व दंगों में साम्प्रदायिक संगठनों की भूमिका का एक लंबा इतिहास है। भारत में 1947 में ब्रिटिश हुकूमत के खत्म होने के बाद भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता के आधार पर समाज का निर्माण और सत्ता संस्थाओं को धर्म निरपेक्षता के आधार पर अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। फिर भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने व दंगों/हमलों में साम्प्रदायिक राजनीतिक संगठनों व कार्यकर्ताओं के शामिल होने के कई उदाहरण सामने आए हैं। फिर भी नागरिकों के बीच यह भरोसा बना रहा है कि सत्ता संस्थान व मशीनरी के स्तर पर साम्प्रदायिकता के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है।लेकिन हाल की घटनाओं में यह देखने को मिलता है कि समाज में छोटी मोटी वारदतों व घटनाओं को साम्प्रदायिक रुप देने या साम्प्रदायिकता के नजरिये से उन्हें देखने-दिखाने में सत्ता संस्थाओं व मशीनरी की भूमिका बढ़ रही है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के मौके पर हुई एक मामूली सी घटना को एक साम्प्रदायिक हिंसा की घटना के रुप में विस्तार देना एक उदाहरण के रुप में सामने आता है। सत्ता संस्थाओं व मशीनरी साम्प्रदायिक राजनीति के दबाव में संवैधानिक मूल्यों व वसूलों को ताक पर रखने से परहेज नहीं करती है। रोजमर्रे की सामाजिक जिंदगी के साम्प्रदायिकरण करने के लिए 'संवैधानिक संस्थाओं' के दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ रही है।

उत्तम नगर की भौगोलिक संरचना

दिल्ली में शहरीकरण का विस्तार इस रुप में हुआ है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आकर जिन जिन इलाकों में लोगों ने झुग्गी झोपडियों व कच्चे मकानों को बनाकर अपना जीवन बसर करना शुरु किया और समय समय पर उन बस्ती व इलाकों को नए तरह के शहरी बुनावट को अंजाम देने के लिए खाली कराया गया। सड़के, बाजार, पार्क, पार्किंग और तरह तरह की इमारतें तैयार की गई। सत्ता मशीनरी द्वारा अतिक्रमण को हटाने के नियमों को लागू करने के वक्त संविधान की भावनाओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखने का दबाव रहा। इसी क्रम में 1969 में भी अलग-अलग बस्तियों को तोड़कर उत्तम नगर का हस्तसाल जे.जे. कॉलोनी को पुर्नवास कॉलोनी के रूप में बसाया गया। हस्तसाल जे.जे. कॉलोनी में ए, बी और सी ब्लॉक में 22.5 गज के लगभग 3000 प्लॉट है। 3000 हजार प्लॉट से आबादी के घनी होने का अनुमान लगाया जा सकता है। देश के दूसरे हिस्से की तरह दिल्ली में भी आबादी व परिवारों की संख्या बढ़ती गई। यह संख्या सभी जातियों व धर्मों के परिवारों में बढ़ी है। नई बस्तियों में आबादी भी मिलीजुली दिखती है। यह संभव है कि लोगों ने नई

बस्तियों में भी इस पहलू को प्राथमिकता दी कि उनके घरों के अगल बगल क्रमवार उनकी माटी (मूल राज्य), धर्म, जाति आदि के घर परिवार हो तो बेहतर है। उत्तम नगर के हस्तसाल जे जे कालोनी में भी राजस्थान के हिन्दू-मस्लिम और जाति के आधार को तरजीह नहीं दी बल्कि श्रमिक व सामाजिक स्तर पर वंचित जातियां खुद को एक जैसा मानकर अगल बगल बसी। पास पड़ोस के लिए अपने मूल राज्य राजस्थान की पृष्ठभूमि को तरजीह दी गई। लोगों ने अपने अलग बगल पड़ोसियों के लिए बिना किसी जाति-धर्म के भेदभाव के खुद के स्तर पर प्लॉटों का चुनाव किया था। मौजूदा स्थिति यह है कि डीडीए यह लॉटरी के जरिये तय करती है कि कौन सा प्लॉट किसे मिलेगा। 1969 में लॉटरी से प्लॉटों का चयन नहीं होता था। डीडीए या जमीन देनी वाली एजेंसी यह छूट देती थी कि खुद अपने पड़ोस का चुनाव कर सकते हैं। समय के साथ परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ने से उन्हें रहने और जीवन बसर करने के लिए अपने घरों के उपर कमरों के निर्माण का रास्ता देखा। इससे मकानों की ऊंचाई बढ़ती गई। दिल्ली के इस तरह के लगभग सभी इलाकों में यह सिलसिला जारी है। डीडीए की आधुनिक कालोनियों व अपार्टमेंट में भी यह देखने को मिलता है।कानून-नियम के प्रावधानों से इत्तर लोगों ने अपनी जरुरतों के लिए निर्माण कराया है। कॉलोनियों के सड़कों, गलियों में भी अतिक्रमण कर सीढ़ियों, शौचालयों का निर्माण हुए है। हस्तसाल जे.जे. कॉलोनी में भी दिल्ली के दूसरे इलाके की तरह ही यह सब कुछ हुआ है। जे जे कालॉनी में यह किसी एक घर या दो घर या एक गली, दो गली की बात नहीं है बल्कि पूरी कॉलोनी में इस तरह के निर्माण है। इस तरह के निर्माण लोगों की जरूरत हो गई है क्योंकि 22.5 गज के प्लाट में परिवार के सदस्यों की बढ़ी संख्या नही रह सकती । घरों के निचले तले पर लोगों ने आजीविका के लिए दुकान, होटल जैसे कुछ व्यापार खोल लिए हैं। मुख्य सड़कों पर लोग रेहड़ी-पटरी लगाकर आजीविका चलाते हैं। 12-15 फीट की गलियां 5-6 फिट की हो गई है। विभिन्न तरह की तंगी ने समाज में आपसी विवाद के बढ़ने की स्थितियां भी बढ़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ मेलजोल की समझदारी भी बढ़ाई है। आपस में आये दिन तु-तू, मैं मैं भी होती है तो एक दूसरे के सहयोग और साथ की जरुरत भी महसूस होती है। विकास और विस्तार की जो नीतियां रही है उससे सामाजिक जीवन में तंगी के कारण आपस में रोजमर्रे के तनाव के हालात भी विकसित और विस्तारित हुए हैं। दिल्ली में मध्य वर्ग व उच्च वर्गों को ध्यान में ऱखकर द्वारका की परियोजना के पूरा होने के बाद उससे सटे उत्तम नगर इलाके में सुविधाओं का निर्माण व विस्तार हुआ। मेट्रो रेल के किनारे मानव सभ्यता का विस्तार एक नई परिघटना की तरह है। बड़ी बड़ी दुकानें और फ्लैट्स बने हैं। सुविधाओं के विस्तार और तंगी के हालात में जीविका के लिए उपलब्ध होने वाले अवसरों से उन इलाकों में जनसंख्या की भी वृद्धी हुई है।

4 मार्च 2026 की हस्तसाल जे. जे कालॉनी की घटना

4 मार्च को होली थी। साथ में रमजान का महीना चल रहा था। जे.जे. हस्तसाल कॉलोनी, ए ब्लॉक, उत्तम नगर में रात के वक्त एक मुस्लिम महिला सहरी के बाजार जा रही थी।सहरी रोजाना रोजा शुरु करने से पहले खाने की चीजों को कहते हैं। महिला के उपर पानी से भरा एक गुब्बारा फेंका गया। गुब्बारे को फेंकने वाले के बारे में दो तरह पहचान बताई जा रही है। एक यह कि रात के वक्त एक बच्ची ने उपर छत से गुब्बारे को फेंका। दूसरा तथ्य है कि प्रिंस नाम के युवक ने उस गुब्बारे को फेंका। इस पर विवाद बढ़ा। 1970 से ही विवाद के दोनों पक्षों के पड़ोस में घर है । आपसी समझौते की कोशिशें की गई। वह सफल भी हुई। लेकिन फिर से विवाद शुरु हो गया। विवाद बढ़ता चला गया। नोकझोंक से शुरु विवाद हिंसक हो गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। लेकिन घायलों में तरुण भूटोलिया नामक युवक को गंभीर चोट आई और दूसरे दिन उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तरूण भूटोलिया की मृत्यु की सूचना सोशल मीडिया में फैल गई । घटना की सूचना जिस तरह से फ्रेम की गई वह साम्प्रदायिकता की भाषा से लैस थी। कॉलोनी में आम तौर पर होने वाले विवाद को स्थानीय किस्म के विवाद के रुप में देखा जाता है। लेकिन इस घटना में पड़ोसियों के बीच के विवाद को साम्प्रदायिकता के इर्द गिर्द खड़ा करने की कोशिशें तेज़ हुई।

पीयूडीआर को घटनाक्रमों को समझने के लिए कालोनी के तात्कालिक विवाद और उसके कारण और विवाद का समय, विवाद के बाद संघर्ष की स्थिति और संघर्ष में दोनों पक्षों के लोगों को होने वाली शारीरिक क्षति का सिंलसिलेवार उल्लेख जरुरी लगता है ताकि यह समझा जा सके कि 4 मार्च के बाद मई तक यानी कुल तीन महीने के दौरान हालात कहां तक पहुंच गए।

हस्तसाल जे.जे. कॉलोनी की घटना में एक पक्ष के बयान

जे जे हस्तसाल कालोनी की 4 मार्च की घटना के विषय में दोनों पक्ष के अपने अपने वक्तव्य है। पीयूडीआर की टीम जब तरूण के परिवार से मिली तो परिवार में सदस्यों ने तरुण के चाचा टेकचंद को घटना पर बातचीत के लिए बुलाया। परिवार के अन्य सदस्य इस संबंध में बात करना नहीं चाहते थे।

पीयूडीआर की टीम जब टेकचन्द से बातचीत कर रही थी उसी बीच तरूण के पिता ने टेकचन्द से कहा कि घटना को लेकर कुछ लोग बात करने आये हैं। दो मिनट आकर बात कर लो। टेकचंद का फोन लगातार बज रहा था। । उन्होंने टीम को बताया कि ‘‘हमारे जाति के कुछ लोग आए हैं’’, इस सूचना से यह भी स्पष्ट

हुआ कि एक छोटा सा विवाद पास पडोसे के दायरे को लांघकर पहले कालॉनी में फैला फिर जाति व धर्म आधारित संगठनों के दायरे में पहुंच चुका है।

टेकचंद का बयान

टेकचंद (46) ने बताया कि दिल्ली में उनकी झुग्गी मोती बाग में थी, जिसे तोड़ने के बाद सरकार ने हस्तसाल जे.जे. कॉलोनी में बसाया था। उनके भाइयों का और उनका जन्म भी इसी कॉलोनी का है और वे तीनों भाई एक ही घर में, एक-एक फ्लोर पर रहते हैं। टेकचंद के अनुसार तरुण और उसका भाई अरुण दोनों जिम (आधुनिक व्यायामशाला) जाते थे। इन लोगों के जिम जाने से हम लोग भी संतुष्ट थे कि ये नशा नहीं करेंगे, क्योंकि इस इलाके में नशे की आदतें आम है। लेकिन हम तीनों भाई भी नशा नहीं करते हैं। तरुण गंगा विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़ से 2020 में बीसीए कर रहा था, लेकिन कोविड के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। अभी वह डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था और वह अपना काम करना चाहता था।

टेकचंद ने घटना के बारे में बताया कि होली की रात एक बच्ची घर के ऊपरी तले पर गुब्बरा खेल रही थी जो नीचे गिर गया और पास से जा रही एक मुस्लिम महिला के ऊपर उस गुब्बारे के पानी के छिंटे पड़ गये और वह एक लड़ाई के रुप में बढ़ गई।

तरुण की माँ ने आँख पर लगी अपनी चोट दिखाई और उनके पिता मेमराज ने भी अपनी चोट दिखाई। घटना के तत्काल बाद के चोट के विजुअल्स बीबीसी के लिंक पर देखे जा सकते हैं।

(https://www.bbc.com/hindi/articles/c3wl22d6641o)

टेकचंद ने बताया कि उनके दूसरे भाई रमेश कुमार के हाथ में और सिर में चोट लगी है। लेकिन पीयूडीआर टीम ने टेकचंद से जितनी देर बात की उस दौरान रमेश से वहां मुलाकात नहीं हुई। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है कि परिवार की तरफ से केवल टेकचंद से ही बातचीत करने का आग्रह था। गौरतलब है कि उन्होंने बताया कि होली के दिन शाम के समय उनके परिवार की छोटी बच्ची ने गुब्बारा फेंका। लेकिन यह स्पष्ट करना जरुरी लगता है कि परिवार की बच्ची का मतलब उसी घर में रहने वाले परिवार की सदस्य नहीं है। बल्कि वह बच्ची जिस परिवार की सदस्य है उस परिवार का घर उस गली का पहला घर है। वह टेकचंद के परिवार के दूर के चाचा के परिवार की बच्ची है। टेकचंद के अनुसार गुब्बारे के पानी का छींटा जब

महिला पर पड़ा तो उसके बाद महिला के बुलाने पर महिला के घर के सभी लोग एकजुट हो गए और उनके घर पर हमला कर दिए और घर के अंदर तक आ गए।

टेकचंद के अनुसार विवाद के दूसरे पक्ष (उमरदीन) और काउंसलर अर्थात निगम पार्षद साहिब कुमार आसीवाल के बीच कुछ साल पहले झगड़ा हुआ था लेकिन समझौता हो गया था। काउंसलर साहिब कुमार आसीवाल का भी कालोनी में मकान है। काउंसलर का उमरदीन के परिवार से भी जब झगड़ा हुआ था तो वह भी होली का दिन था। साहिब कुमार आसीवाल पार्षद पहले आम आदमी पार्टी से निर्वाचित हुआ था। अब भाजपा में है।

*(नोट: 4-5 मार्च की घटना के तत्काल बाद कई मीडिया कंपनियों ने इसकी खबरें प्रसारित की है और पीयूडीआर ने लगभग एक महीने बाद पूरे घटनाक्रमों की पड़ताल शुरु की। लिहाजा विवाद के दोनों पक्षों के द्वारा घटना के तत्काल बाद जो दावे किए गए और पीयूडीआर की टीम को जो बताया गया, इनका एक तुलनात्मक विश्लेषण करने के इरादे से मीडिया के लिंक दिए गए हैं।)

टेकचंद ने बताया कि उनके परिवार का आज तक कोई झगड़े का रिकॉर्ड नहीं है। दूसरे पक्ष के लोग झगड़े के बाद दबाव डालकर या पुलिस को पैसा देकर सुलह करा लेते हैं। उनके परिवार के तीस-चालीस घर हैं, तो जब ये किसी के साथ झगड़ते हैं, तो कोई डर के कारण बोलता नहीं है। वे करीब 7-8 घरों से पहले भी झगड़ा कर चुके हैं।

टेकचंद ने बताया कि “हम लोग घर के अंदर अपने आप को बंद कर लिए।” घर में बंद होने के बाद बाहर के हालात से खुद के कटे होने का संकेत टेकचंद ने दिया। उन्होने बताया कि रात में तरुण बुलेट से आया, वह अकेला था। उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहा कि वह अकेले आ रहा है। टेकचंद ने आगे बताया कि उसके आते ही 40-50 लोग उस पर टूट पड़े। उसके सिर पर उन्होंने मारा और जब वह गिर गया, तो उसके सीने पर पत्थर मारे। वे लोग बाइक से तरुण को लेकर बी.एम. गुप्ता अस्पताल गए, जब वहाँ डाक्टरों ने दूसरे किसी बड़े दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा । तरुण को माता चन्न देवी अस्पताल, जनकपुरी ले जाया गया। दूसरे दिन (5 मार्च) सुबह 8 बजे से तरुण को सीपीआर देने लगे और लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई। टेकचंद ने तरुण का फोटो दिखाते हुए कहा कि वह 6 फुट लंबा था और उसका शरीर अच्छा था, इसलिए उसे दो-चार लोग नहीं मार सकते थे।

टेकचंद कहते हैं कि उसके परिवार वालों को पैसा मिल जाए, तो वे केस भी अच्छे से लड़ सकते हैं। जो लड़का बुढ़ापे का सहारा था, उसे मार दिया गया, पैसे मिल जाए तो वह बुढ़ापे में सहारा हो सकता है। पास में दीवार पर लगे खूनी पंजे के निशान को उन्होंने दिखाया, जहाँ पर बताया जा रहा था कि तरुण की पिटाई की गई। उन्होंने कहा कि पंजा 'आरोपियों' का है, जो दहशत फैलाने के लिए निशान लगाया गया है। उन्होने इस बात से इंकार किया कि तरूण किसी संगठन या पार्टी का सदस्य रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिरों में लोग तरूण के लिए शांति पाठ का आयोजन करते हैं और उनके फ्री होने के हालात में वे भी वहां चले जाते हैं।

पीयूडीआर का मत

पीयूडीआर के सामने पूरे घटनाक्रमों के विवाद के कारणों व समय के दावों को लेकर कई प्रश्न उठे । मसलन होली के दिन रात साढ़े दस बजे की घटना होने का दावा किया जा रहा है। होली में आमतौर पर रंग सूर्य के ढलने तक खेला जाता है। जिस बच्ची के द्वारा गुब्बारा फेंकने का दावा किया जा रहा है वह बच्ची उस परिवार की सदस्य नहीं है।

देर रात बच्ची के घर के उपर गुब्बारे से खेलने का दावा और उसे पूरी घटना की वजह के रुप में सामने आने का सच जांच के बाद ही संभव है।

होली के दिन केवल दिल्ली में ही हिंसा की कई घटनाएं हुई और उनमे जानें भी गई। उन्हें सामान्य घटनाओं में शुमार मान लिया गया। लेकिन 4 और 5 मार्च के बाद उत्तम नगर के घटनाक्रमों का स्वर कैसे साम्प्रदायिकता की तरफ मुडा , यह समझना जरुरी लगता है।

मृतक के परिवार के वकील की प्रस्तुति

हस्तसाल जे जे कालॉनी में कई घर हैं जो तरूण के परिवार के ही हैं, वे लोग वहीं रहते हैं। सारे मकान उनकी माँ के नाम पर हैं। एक 7 साल की बच्ची है जो तरूण के साथ वाले घर में रहती है वो दूसरी मंजील पर गुब्बारे से खेल रही थी (4 मार्च को उस समय रात के साढे दस बज रहे थे।) उसका गुब्बारा गिरकर जमीन पर फट गया और उस गुब्बारे के पानी का छींटा सायरा पर लग गया। इस पर उसने जाति को लेकर टिप्पणी की और बच्ची को गाली दी- यहाँ तक कि धमकी दी कि "तुम्हारा रेप करवा दूँगी, उठवा लूँगी।" उसकी ताई, जो तरूण की माँ हैं, उन्होंने माफी भी माँगी, लेकिन उसने कहा कि "नहीं, तुमने जानबूझकर यह फेंकवाया है, मै तो अपने रोजे की सामान लेने जा रही थी।"

“इसके बाद 25-30 लोग सायरा के घर से आ गए। वे लोग मारपीट करने लगे और ऊपर घरों पर पथराव किया। लोग अपने-अपने घरों में बंद हो गए। जिस घर में बच्ची रहती थी उस घर में भी घुसने की कोशिश की गई, लेकिन उसका गेट मजबूत था। तरूण के घर और उसके चाचा के घरों में तोड़फोड़ की गई।”

“तरूण को यह भी पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। वह होली नहीं खेलता था, इसलिए सुबह से ही दोस्तों के पास था। पहले कुछ दोस्तों के पास रहा, और दोपहर 2.30 बजे के बाद वह मेरे घर के पास (जहाँ मेरा घर और ऑफिस है- हॉस्पिटल रोड, ए-2 ब्लॉक, जे.जे. कॉलोनी के सामने) अपने दोस्त के घर पर था। वह जिस जिम में प्रैक्टिस करता था वहीं पास में है लेकिन उस दिन जिम बंद था। होली के हुड़दंग से बचने के लिए वह अपने दोस्त के पास था, और उसका दोस्त भी होली नहीं खेलता।”

“रात 10.48 बजे वह वहाँ से निकला। उसे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ पता नहीं था। जब वह बुलेट से आया, तो उसे घेर लिया गया, खींचकर गिराया गया और उसकी बुलेट को भी नुकसान पहुँचाया गया। उसके सिर पर हमला किया गया, स्पष्ट तौर पर मारने की नीयत से उस पर अटैक किया गया।”

“रमजान का महीना था। मारने के बाद एक सिल्ली उठाकर उसके सीने पर मारी गई और कहा गया कि “रमजान में काफिर को मारना सवाब का काम है, यह काम हमने कर दिया।” यह बात एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि तीन-चार लोगों ने कही। इसके कारण हिन्दू-मुस्लिम का मामला शुरू हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सिर्फ पड़ोसियों का झगड़ा नहीं था।

गौरतलब है कि तरुण के वकील दोस्त सुमित के मुताबिक ‘झगड़ा तो 15 मिनट पहले ही खत्म हो चुका था और लोग अपने-अपने घरों में बंद हो गए थे।’

उनके अनुसार सायरा ने पुलिस को फोन नहीं किया। तरूण के घर से कई लोगों ने पुलिस को फोन किया। लोग चाहते थे कि पुलिस आकर उन्हें बचाए, वे यह नहीं चाहते थे कि वे खुद हथियार उठाएँ। दूसरे पक्ष के पास हथियार थे। लोगों ने छतों पर चढ़कर शोर मचाया और उन्हें भगाने के लिए पत्थर फेंके (यह पत्थर तरूण के घर वालों ने नहीं, बल्कि वहाँ के किरायेदारों ने फेंके) जिनमें से एक-दो लोगों को चोट लगी, जिसके बाद वे लोग भाग गए। बाद में वे फिर लौटे और 2.00-2.30 बजे गाने चलाए और बोले “खून की होली खेलेंगे।”

पुलिस लगभग 11.15 बजे रात को पहुँची। पुलिस के देर से आने का कारण बताते हुए कहा कि चार-पाँच लोग लगातार पुलिस को कॉल कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल नहीं लग पा रही थी।

जब लोग बाहर आकर कॉल कर पाए, तब लगभग 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली। हमारी तरफ से मान सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई।

दूसरी तरफ से यह झूठ फैलाया गया कि एक लड़का लड़की को छेड़ रहा था। लेकिन इस पर न तो कोई शिकायत की गई और न ही पुलिस को फोन किया गया।

लोग इस बात से भड़क गए कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के खिलाफ पहले दो-तीन दिन तक प्रदर्शन किए गए। हमने भी यह मुद्दा उठाया कि जब 22-23 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पुलिस केवल 4-5 लोगों तक ही सीमित क्यों है?

वकील के अनुसार यह भी कि बच्ची को जिस तरह से धमकी दी गई, उसमें पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए था, लेकिन वह नहीं लगाया गया। तरुण की माँ और बच्ची का 164 के तहत बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं।

वकील चौहान ने जब पीयूडीआर से बातचीत की उस समय तक 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे। जिनमें 2 नाबालिग हैं। वकील सुमित चौहान के मुताबिक जे.जे. सेक्शन में 12 लोग हैं, जहाँ बच्चों की सुरक्षा देखी जाती है। ये बच्चे घटना में सक्रिय भूमिका में थे- कैमरों में भी दिख रहा है कि वे मारपीट कर रहे हैं। लेकिन अदालत में वे कह रहे हैं कि वे सो रहे थे।

वकील सुमित के मुताबिक बच्चों की उम्र भी संदिग्ध है। ये 17 और 16.5 वर्ष के हैं, लेकिन खुद को 15 वर्ष से कम बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ने वाले इस तरह के अपराध नहीं करते। अगर इन्हें छोड़ दिया गया, तो इलाके में फिर से तनाव बढ़ेगा- परिवार भी भड़केंगे कि उनके बेटे का कातिल खुलेआम घूम रहा है।

तरूण के भाई अरुण के विषय में पूछने पर बताया कि- वह सामने 'ब्लडींग' में मूवी देख रहा था। शोर सुनकर वह नीचे आया, तो आरोपियों में से एक ने उस पर पिस्तौल तान दी और दूसरे ने उसका हाथ तोड़ दिया। वह किसी तरह बचने के लिए अंदर जाकर कुंडी लगा ली। वह एक स्टूडेंट है। अरुण छात्र है।

(पीयूडीआर की टीम को टेकचंद ने बताया है कि अरुण उनकी इलेक्ट्रीक की दूकान पर बैठता है।)

वकील के अनुसार उन्होने शुरुआत में एफआईआर की कॉपी लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें उचित धाराएँ नहीं लगाई गई थीं। बाद में पुलिस ने हमें बता दिया कि कौन-कौन सी धाराएँ लगाई गई हैं।

एससी/एसटी आयोग भी आया था। पुलिस ने उन्हें और हमें लिखित रूप में बताया कि कौन-कौन सी धाराएँ लागू हैं। कोर्ट ठीक से काम कर रहा है।

बुलडोजर से उनके छज्जे गिराए गए हैं, लेकिन हम यह नहीं मानते कि पूरी लाइन को गिराया जाना चाहिए।भीड़ ने घर पर इसलिए हमला किया क्योंकि शाम को उस घर में लाइट जल रही थी, जिससे लोगों को लगा कि अंदर कोई छिपा हुआ है। वे लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर के ताले तोड़े गए, सामान और सोना लूटा गया। अगर ऐसा है, तो उन्होंने प्रशासन या पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की?

वकील सुमित के अनुसार कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 लोग हमारे पक्ष के हैं, और एक की मृत्यु हो चुकी है।

वकील सुमित ने घटना की वजहों के संबंध में बताया कि पहले दिन मैडम एडिशनल डीसीपी थीं। उन्हें पहले दिन यह मालूम नहीं था कि मामला क्या है। उन्हें लगा कि होली में झगड़ा हुआ है- होली में अक्सर पड़ोसियों के बीच झगड़े हो जाते हैं- तो उसी गलतफहमी में उन्होंने बयान दे दिया था। बाद में उन्होंने अपनी सारी स्टेटमेंट सही कर दी। पुलिस का वर्जन पहले दिन वाला नहीं था। सीनियर ऑफिसर ने मीडिया से बात की थी, लेकिन वह बात सामने नहीं आई जो आप लोग कह रहे हैं कि दो पक्षों का झगड़ा हुआ था।

दोनों परिवार राजस्थान से हैं, जहाँ जातिवाद काफी गहरा है, इसलिए जातिसूचक टिप्पणियाँ होना संभव है। यदि एससी/एसटी समुदाय से होने के कारण यह हमला हुआ है, तो उस आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।

विदित है कि पीयूडीआर को रिजवान रंगरेज के आधार कार्ड की प्रति मिली जिसमे उसकी उम्र 6 मई 2010 अंकित है जैसा कि उसकी उम्र 16 साल से कम होने के दावा किया गया है ।वकील से बातचीत के बाद से पुलिस द्वारा गिरफ्तार लोगों की संख्या 22 हो गई है और चार्जशीट दायर कर दी है।

विवाद का दूसरा पक्ष

पीयूडीआर की टीम ने तरुण की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सायरा की भतीजी से बातचीत की। उन्होंने दिल्ली में 10 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हालांकि प्रेस कॉफ्रेंस में उन्होंने अपनी पहचान ज़ाहिर नहीं की (https://www.youtube.com/watch?v=OsEtOVm3uA8) उन्होंने अपने रिश्तेदारों पर लगे आरोपों को सिरे से ख़ारिज़ करते हुए उन्हें ग़लत बताया. उन्होंने घटना का अलग ही विवरण दिया।उन्होने

दावा किया कि सायरा के ऊपर किसी बच्ची ने नहीं बल्कि एक 20 साल के युवक प्रिंस ने गंदे पानी का गुब्बारा फेंका था.उनका आरोप है कि इसके बाद उनके साथ बदतमीज़ी भी की गई.

"इसके बाद मेरे घर के पुरुष बाहर आए और गली में हाथापाई शुरू हो गई. जब दोनों घरों के बड़े-बुजुर्ग आपसी समझौते की बातें कर ही रहे थे, तब ही तरुण कुछ लड़कों के साथ हॉकी स्टिक और सरिया लेकर वहाँ आ धमका."

उनका आरोप है, "उन लोगों ने मेरे परिवार वालों के सिर पर वार किया,"

इस महिला का यह भी दावा है कि तरुण के सिर पर चोट उनके घरवालों की ही लाठी से लगी. उनका दावा है, "तरुण घर पर कुछ लड़कों के साथ नशे में आया था. उन्हीं का डंडा तरुण के सिर पर लगा और वह बेहोश होकर गिर गया."

उन्होंने यह भी कहा कि इस मारपीट में उनके परिवार वालों को भी चोटें आई हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होने आरोप लगाया, "घर पर बुलडोज़र चलाना कहाँ का इंसाफ़ है? हमारा सारा सामान, हमारे डाक्यूमेंट्स, हमारा कैश, जेवर सब जला दिए हमें बेघर कर दिया."

(https://www.bbc.com/hindi/articles/c75ey0e7dy4o)

4-5 मार्च की घटना के बाद से जून का महीना चल रहा है और उन परिवारों की महिलाएं और बच्चे अपने घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं जिनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ तरुण की हत्या से जुड़े आरोप लगे हैं। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े के आसपास जब उन्होंने अपने घरों में लौटने की कोशिश की तो एक 'महिला भीड़' ने साम्प्रदायिक गालियों की बौछार कर दी और तरह तरह से परेशान किया। मुस्लिम घरों की महिलाओं से जब भी अपने घरों में लौटने की कोशिश की तब तरुण के परिवार समेत अन्य महिलाओं की भीड़ वहां जमा होकर उन्हें धमकाती है। शुरुआत में पुलिस ने उत्तम नगर थाने में परेशान महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कहा लेकिन 24 अप्रैल के बाद जब तरुण के परिवार ने हाई कोर्ट के समक्ष अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अपील की तो उसके बाद पुलिस ने अपने घरों के लिए लौटने वाली मुस्लिम महिलाओं को तंग करने वाली भीड़ को रोकने से मना कर दिया। नतीजतम मुस्लिम महिलाएं और बच्चें उन दूसरे घरों में रहने के लिए मजबूर है जो कि तरुण के परिवार की गली से उसी कालॉनी में दूर स्थित हैं।

उनकी जिंदगी का हर दिन इस तरह से भारी है कि वे आजादी से वहां निकल नहीं सकती।हर मंगलवार को धार्मिक रंग वाले जुटान होते हैं जिसका मकसद धमकाना होता है। मई महीने में एक बच्चे को उस समय बुरी तरह परेशान किया गया जब वह एक घर से दूसरे घर के लिए सब्जी ले जा रहा था । जून मध्य में उमरदीन के परिवार की एक महिला के उपर नुकीला पत्थर फेंका गया लेकिन पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस परिवार के बुजूर्ग बाबू खान है। उन्होने सायरा और लगभग बीस वर्षीय तरुण के पड़ोसी प्रिंस समेत तरुण के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बकझक और विवाद बढ़ने के हालात को क्रमश: देखा। उन्होने अपनी एक शिकायत 8 अप्रैल को इलाके के डीसीपी को दी है। लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

बाबू खान ने अपनी शिकायत में यह लिखा है कि 4 मार्च को रात साढे दस बजे थे। वे अस्वस्थ्य थे। हाई बल्ड प्रेशर की वजह से सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहे थे। उसी समय उन्होने बाहर गली में उंची आवाज में शोरगुल सुना । उन्होने सोचा कि होली में यह सामान्य सी बात है कि लोग नशे की हालत में आपस में आपसी झगड़े में उलझ जाते हैं। लेकिन जब शोर शराबा कम नहीं हुआ तो शारीरिक परेशानियों के बावजूद वे अपने घर से बाहर आए। थोड़ी दूर चलने पर गंगा राम ने उन्हें टोका कि वे आगे नहीं जाएं। आगे झगड़ा हो रहा है। पत्थरबाजी और स्टीक चलाई जा रही है। लेकिन फिर भी वे आगे बढ़े और उन्होने देखा कि तरुण और दूसरे लोग स्टीक और लोहे के सरिया से हमला कर रहे हैं। उन्होने यह भी देखा कि मान सिंह, पार्षद साहिब आसीवाल और दूसरे मेरे बेटे बेटियों को स्टीक से बुरी तरह मार रहे हैं। मान सिंह और काउसंलर साहिब कुमार आसीवाल झगड़े के लिए उकसा रहे हैं । वे यह कहकर हालात को बिगाड़ रहे थे कि इन मुल्लों को यहां अब रहने नहीं देना है , अब इस झगड़े को हम मुद्दा बना लेंगे और इनका जीना हराम कर देंगे । उनके बच्चे खुद को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे और स्टीक को छिनने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ से धर्म का नाम लेकर गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे बच्चों के सिर और कान से खून बह रहा था। तब उन्होने 112 नंबर पर कई बार फोन किया।

जब मेरा बेटा घर लौटा तो उसने बताया कि तरुण और उसके साथ के लोग उसे मारते वक्त यह कह रहे थे कि मुल्ले आज कब्र में उतारे जाएंगे , इनकी बेटियां हमारे घर में रहेंगी। उनकी बेटी ने बताया कि घटना के दौरान उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ की गई और मसोसा गया। बाबू खान के मुताबिक थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची । उन्होने पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी तब घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले गए

और उन्हें भी ले गए। वहां से उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया। 8 दिनों तक उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा गया । खाना तो दिया गया लेकिन दवाईयां और इनहेलर नहीं दिया गया। उनकी हालत बिगड़ गई।8 दिनों के बाद उन्हें उनके दामाद के घर पर ले जाकर छोड़ा गया और पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि उन्होने गैरकानूनी हिरासत के बारे में किसी को जानकारी दी तो उनके बेटों और बेटियों को भी झुठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होने पुलिस स्टेशन में कई बार शिकायत दर्ज करने की कोशिश की लेकिन हर बार उन्हें लौटा दिया गया।

मुस्लिम परिवारों के वकील

'आरोपी' पक्ष के वकील जितेन्द्र कुमार- उन्होंने बताया कि कुल 8 लोग घायल हैं, जिनमें से 5 'आरोपी' परिवार के हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। कई लोगों के सिर पर चोटें और मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं। जबकि कानूनी स्तर पर 'पीड़ित' परिवार की तरफ से 3 लोग घायल हैं (तरुण सहित), जिनमें से दो को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस को पहली कॉल 'आरोपित' परिवार की ओर से एक लड़की ने की थी, जिसमें बताया गया कि "हमारे दादाजी का सिर फोड़ दिया गया है।"

वकील जितेन्द्र कुमार के अनुसार तरुण के बुलेट में रॉड रखने की जगह है जिसको निकालकर लोगों को मार रहा था और उसने कई लोगों के सिर फोड़े। उनका दावा है कि तरुण को चोट उसके अपने भाई अरूण के हाथों लगी, जिससे उसकी मृत्यु हुई।

पुलिस अधिकारी द्वारा मीडिया में इस घटना को आपसी झगड़ा बताया जा रहा है, लेकिन क्रॉस एफआईआर दर्ज नहीं की गई और एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति (बाबू खान) को 8 दिन तक गैरकानूनी तरीके से थाने में रखा गया और बाद में छोड़ दिया गया।

उनका कहना है कि प्रिंस नाम के एक लड़के ने 'आरोपित' परिवार के महिला पर सहरी का सामान लेते जाते समय रात में उनके शरीर पर गुब्बारा मारा था, और शोर होने पर प्रिंस ने फोन करके तरुण को बुलाया।

वकील जितेन्द्र सिंह ने एक वीडियो दिखाया, जिसमें महिलाएं जब अपने घर वापस गई हैं तो तरूण के परिवार और रिश्तेदार उनके घर पर आकर उन महिलाओं को गाली दे रही हैं और उनको वहां से जाने को

कह रही हैं। वकील का कहना है कि वे 'आरोपित' परिवार की महिलाएं अपने रिश्तेदारों के यहां रुके हुए हैं और उन्हें खाना नहीं दिया गया, जिससे कि वे उनके वहां से चली जाएं।

पीयूडीआर को इस तरह का एक वीडियो आरोपी परिवार ने भी दिखाया।

उमरदीन और मुस्लिम परिवारों के गिरफ्तार कुल 19 लोगों में 3 महिलाएं और 2 नाबालिग (14 और 15 वर्ष के) शामिल हैं। एफआईआर में कुल 22 लोगों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं। इमरान नाम के एक लड़के को नाम की गलतफहमी के कारण पकड़ा गया है। पुलिस दूसरे इमरान को भी ढूंढ रही है, लेकिन गलतफहमी में पकड़े गए इमरान को छोड़ना नहीं चाहती।

'आरोपित' परिवार के 13 घरों में ताले लगे हुए हैं। इन बंद घरों के ताले तोड़कर चोरी होने की भी बातें सामने आई हैं। 13 घरों में से एक पर 8 मार्च को उमरदीन का घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। दो घरों को एमसीडी ने सील किया है, और तीन घरों पर एनजीटी के नोटिस चिपकाए गए हैं। बुलडोजर कार्रवाई के दिन एमसीडी के कर्मचारी स्वयं तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां के वर्तमान निगम पार्षद साहिब आसीवाल , 'तरुण के परिवार के लोग और बजरंग दल के सदस्य मौजूद थे। सामान निकालकर जलाने और तोड़फोड़ करने में तरुण के भाई अरुण का वीडियो होने का भी दावा किया गया। 30 अप्रैल को दूसरे 'आरोपी' इस्माइल के घर को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया।

उमरदीन के घर में बुल्डोजर चलवाने की कार्रवाई के बाद इस्माइल के घर पर भी 13 मार्च को बुल्डोजर कार्रवाई की जा रही थी तो उसके विरुद्ध इस्माइल के परिवार ने हाईकोर्ट मेंगुहार लगाई लेकिन इस परिवार को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने यह जरुर कहा है कि एमसीडी कानून के अनुसार कार्रवाई करे और बुलडोजर कार्रवाई से 15 दिन पहले नोटिस दिया जाए। हाई कोर्ट द्वारा इस मामले पर दो हफ्ते की रोक लगाई ताकि एमसीडी ट्रिब्यूनल इस पर सुनवाई करें लेकिन ट्रिब्यूनल ने मकान मालिक की अंतरिम याचिका को ख़ारिज कर दिया और फिर ये तोड़-फोड़ 30 अप्रैल को रातों-रात की गई।

पीयूडीआर की टीम जब इस घटना के संबंध में डीसीपी से बात करने के लिए उनके ऑफिस गई तो उन्हें यह जानकारी मिली घटना के दिन नए डीसीपी का कार्यभार हो रहा था। उत्तम नगर में घटना धीरे धीरे हिंसक मोड तक पहुंची तो देर रात में पुलिस घटना स्थल पर पहुंची।

घटना में साम्प्रदायिक राजनीति की पैठ

इलाके में कई ऐसे पोस्टर बैनर देखे गए जो इंगित कर रहा था कि इस इलाके में पहले से ही हिन्दूत्ववादी संगठनों की सीधी मौजूदगी बढ़ गई है और उनका लगातार प्रोग्राम हो रहा था। 18 जनवरी, 2026 को सर्व हिन्दू समाज की तरफ से हस्ताल जे.जे. कॉलोनी में 'हिन्दू सम्मेलन' का आयोजन किया गया था। 22 फरवरी, 2026 को सर्व हिन्दू समाज की तरफ से जनता फ्लैट्स में 'हिन्दू सम्मेलन' के आयोजन का पोस्टर दिखा। उसी जनता फ्लैट्स में 15 मार्च 2026 को 'आक्रोश सभा' के नाम पर सभा किया गया जिसका मुख्य नारा था- ''ना- हिन्दू कटेगा, ना- हिन्दू बंटेगा''।

4 मार्च की घटना और पांच मार्च को तरुण की मौत के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह विवाद व झगड़ा दो परिवारों या पड़ोसियों के बीच सीमित नहीं रह गया है।उसमे साम्प्रदायिक राजनीति घुस गई है और उसके रंग ढंग साफ-साफ दिखने लगे।

5 व 6 मार्च को घटना के खिलाफ आक्रोश के नाम पर गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर की गई और आग लगा दी गई। आरोप के दायरे में आने वाले परिवारजनों का कहना है कि उनके घरों में लूटपाट किया गया। कुछ समान को घर से बाहर फेंककर आग लगा दी गई। 'तरुण परिवार के पक्ष को इससे संतुष्टी नहीं हुई और वो योगी मॉडल (उत्तर प्रदेश की तरह घरों को बुलडोजर से गिराने की मांग) करने लगे।

विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट आदेश है कि गैर कानूनी ढांचे को तोड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन व निगम को कम से कम 15 दिनों पहले नोटिस देनी होगी। लेकिन घटना को राजनीतिक रंग देने के लिए एक नया तर्क यह सामने आया कि अतिक्रमण को हटाने के लिए किसी नोटिस की जरुरत नहीं है। गैरकानूनी ढांचे को गिराने के संबंध में नोटिस देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दरकिनार करने के लिए घर के निर्माण के हिस्से को अतिक्रमण करार दिया गया । जबकि इलाके के निगम पार्षद साहिब आसीवाल ने बीबीसी के कैमरे पर बातचीत में कहा कि लोगों की मांग थी कि गैर कानूनी निर्माण को हटाया जाए। इसीलिए निगम को गैर कानूनी ढांचे को गिराने की कार्रवाई करनी पड़ी। 8 मार्च को एक घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया।

6 मार्च के बाद यह स्पष्ट रुप से दिखने लगा कि इस घटना का साम्प्रदायिककरण किया जा रहा है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि यह दो पड़ोसियों के बीच का झगड़ा है. इसे कुछ और रंग देने और क़ानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगता है कि घटना के संबंध में राजनीतिक फैसले के

आगे कानूनी संस्थाओं व नियमों को विवश कर दिया गया और घटना के साम्प्रदायिकरण के आधारों का विस्तार किया जाने लगा। विदित है कि पार्षद साहिब आसीवाल का एक घर उसी कालॉनी में है। पार्षद साहिब आसीवाल ने पहली बार चुनाव आम आदमी पार्टी की टिकट पर जीता था लेकिन बाद में वह भाजपा में शामिल हो गया। साहिब आसीवाल के संपति का ब्यौरा एडीआर की बेवसाइट (https://www.myneta.info/Delhi2022/candidate.php?candidate_id=5816) पर मौजूद है।

7 मार्च को मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह, पंकज कुमार और सांसद कमलजीत सहरावत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की।

एमसीडी ने 8 मार्च को पहले उमरदीन और 30 अप्रैल को मलिक इस्माईल के घर को अतिक्रमण बताते हुए बुलडोजर से तोड़ दिया। 8 मार्च की बुल्डोजर कार्रवाई वार्ड-107, विकासपुरी के पार्षद साहिब कुमार असीवाल की मौजूदगी में हुई । पार्षद का कहना है, "आरोपियों को ऐसा सबक सिखाना ज़रूरी था." (बी बी सी की रिपोर्ट का लिंक दिया गया है)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 9 मार्च को तरूण के परिवार से सचिवालय बुलाकर मिली। उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर फोटों साझा करते हुए कहा कि असहनीय पीड़ा के समय दिल्ली सरकार पूरी संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। तरूण के परिवार का दुःख अत्यंत गहरा और असहनीय है। उन्हें न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

परिवार वालों का कहना है कि हम किसी पार्टी से नहीं है लेकिन अभी सरकार में बीजेपी है तो हमारी उम्मीद है कि कुछ करें।

15 मार्च को हस्तसाल एलआईजी फ्लैट्स के अयप्पा पार्क में 'विराट आक्रोश सभा' का आयोजन किया गया जिसमें करीब 4 हजार लोग पहुंचे थे। मंच पर बैनर लगा था "न हिन्दू कटेगा, न हिन्दू बंटेगा"। मंच से आयोजकों ने कहा कि तरूण की हत्या आक्रमणकारियों द्वारा की गई है। मंच से मांग की गई कि पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये और एक नौकरी दी जाए। साथ ही अपराधियों के घरों को पूरी तरह गिराया जाए।

सभा स्थल पर लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए आ रहे थे। कुछ यह भी बोल रहे थे कि "तरुण के हत्यारों को गोली मारो सालों को।" "तरुण के हत्यारों को फांसी दो।" तो कुछ लोग एनकाउंटर की बात कर रहे थे।

कुछ लोग साधु-संत के भेष में भी थे और उनकी तरफ से "गोली मारो सालों को" का नारा लगाते हुए देखा गया।

कार्यक्रम के बाहर दो-तीन ऐसे समूह भी थे जो मीडिया को खोज-खोज कर बाइट दे रहे थे और बदला लेने की बात कर रहे थे। वे उत्तेजक नारे लगा रहे थे और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे थे कि "इन्होंने हमारी होली खराब की है, हम इनकी ईद खराब करेंगे।"

इस सभा से पहले मुस्लिम बहुल बी ब्लॉक में बुलडोजर की कार्रवाई कर लोगों के घरों के निर्मित कुछ हिस्सों को तोड़ा गया और रेहड़ी पटरी वलों को उजाड़ दिया गया।

डीसीपी ने बताया कि हस्तसाल जे.जे. कालोनी में 150 से अधिक बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने अपने बयान में 7 मार्च को कहा कि यह दो पड़ोसियों के बीच का झगड़ा है।

(https://www.bbc.com/hindi/articles/c75ey0e7dy4o)

इसे कुछ और रंग देने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।ईद के दिन जगह जगह बैरिकेटिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात की हुई थी। फिर भी कुछ शरारती तत्व उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास इक्ट्ठे होकर नारे लगाए। यूपी और राजस्थान नम्बर की दो स्कार्पियो जिस पर बड़े बड़े भगवा झंडा लगा हुआ था। उत्तम नगर मेट्रो के पास आकर रूकी थी। इसमे सवार लोगों ने शोर मचाया और नारे लगाए। कॉलोनी में दोस्त और रिश्तेदारों को ईद पर बधाई देने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा था।

आरोपित पक्ष के विरुद्ध सत्ता से जुड़ी जो भी संस्थाओं के दायरे में आने वाली किसी तरह की कार्रवाई के लिए तर्क तैयार किए जा सकते थे वे सब किए गए।

सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री के अलावा क) पुलिस ख) नगर निगम के बाद ग) अनुसूचित जाति आयोग घ) एन जी टी ने भी अपने स्तर पर कार्रवाई की।

पुलिस ने पहले आपसी विवाद कहा लेकिन बाद में उसका रुख पूरी तरह से बदल गया।

एमसीडी अधिकारियों ने कोर्ट में कहा कि उमरदीन का मकान चुंकि अतिक्रमण करके बना था इसलिए तोड़ा गया । अतिक्रमण यानी एक्रोचमेंट हटाने के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है। एमसीडी के तरफ से वकील ने कहा कि उस परिवार से एफीडेवीट लिया जाए कि वे एक्रोचमेंट नहीं किए थे।

डीसीपी से कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं हुई। फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि हमने पुलिस बल तैनात किया है, सीसीटीवी लगवाया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग पर्सनल इंटरेस्ट में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पीयूडीआर की टीम 31 मार्च को उत्तम नगर थाने भी गई लेकिन एसएचओ नहीं थे। एक सादी वर्दी में स्टाफ ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि आजकल खान पान का ही दोष है कोई एक बात बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने कहा कि जब बर्तन एक साथ रहते हैं तो खनकते ही हैं। अपरोक्ष रूप से उनका कहना था कि यह आपसी झगड़ा है।

25 मार्च को एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया। न्यायालय ने तरुण के परिवार की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के पास जाने का निर्देश दिया।यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस के द्वारा शिकायतों का प्रभावी समाधान नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का रूख कर सकते हैं।

घटनाक्रमों में यह स्पष्ट है कि

1. 4 मार्च की घटना और विवाद को पुलिस ने आपसी झगड़ा बताने के बाद भी एकतरफा कारर्वाई की। पुलिस ने मुस्लिम परिवारों की शिकायतों को दर्ज नहीं किया ।यहां तक कि घटना के गवाह बुर्जुग बाबू खान को आठ दिनों तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। बाबू खान ने इसकी लिखित शिकायत डीसीपी को की। डीएसपी के अनुसार जांच की जा रही है।

2. पुलिस ने मुस्लिम परिवारों की सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरती रही है। जबकि 24 अप्रैल, 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने तरूण के परिवार की शिकायत पर पुलिस को उनके सुरक्षा का ध्यान रखने का हुक्म दिया है।

3. चार-पांच (4-5) मार्च के बाद, आरोपियों के परिवारों (मुस्लिम) को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। इसके कुछ ही समय बाद, कुछ खाली घरों को बदमाशों ने लूट लिया और तोड़ दिया, एमसीडी ने उन्हें गिरा दिया, और एनजीटी ने प्रदूषण के नियमों को तोड़ने के लिए उन्हें नोटिस भेज दिया। ये सारी हरकतें सिर्फ उन संपत्तियों पर हुई हैं जो मुस्लिम मालिकों-आरोपियों की हैं।

4. 'आरोपित परिवार की महिलाएं और बच्चे जब अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके दरवाजे पर जाकर पुलिस की मौजुदगी में गाली-गलौज किया जा रहा है। पुलिस में उनके खिलाफ शिकयत भी की

जा रही है। पीयूडीआर टीम को 13 अप्रैल को जब यह महिलाएं अपने घर गई उस दिन 'पीड़ित' पक्ष की महिलाओं द्वारा उनके घर पर आकर गाली गलौज देने का वीडियो मिला। दूसरे दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला की तरूण की मां ने थाने में लिखित शिकायत दी कि आरोपी पक्ष की कई महिलाएं उनके दरवाजे पर पहुंची और गाली गलौच करते हुए हमला करने की कोशिश की। मामला वापस नहीं लेने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इसके बाद भी महिलाओं ने पुलिस की मौजदूगी में अपने घर वापसी की कोशिश की जहां पर तरूण के परिवार और रिश्तेदार महिलाओं ने हंगामा किया।

आरोपियों के परिवारों से मिली जानकारी के हिसाब से, ये मुस्लिम परिवार जिनमें ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे हैं— वापस लौटने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ मोहल्ले के लोग सांप्रदायिक ज़हर फैला रहे हैं लेकिन पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। पुलिस के इस भेदभाव भरे रवैये के चलते, इन परिवारों का लगातार साम्प्रदायिक उत्पीड़न हो रहा है लेकिन पुलिस की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है।

यह स्पष्ट है कि पुलिस थाने तक पहुंच को केवल तरुण के परिवार व उसके समर्थकों को सुगम बनाए रखा गया है। वे दो स्तरों पर अपनी कार्रवाईया कर रहे हैं कि वे घर लौटने वाले परिवारों के दरवाजों पर भी संगठित होकर पहुंच जाती है और थाने पर भी उनकी शिकायतें लेकर पहुंच सकती है।

पीयूडीआर यह समझती है कि पुलिस की गिरफ़्तारियों और निष्क्रियता, एक इरादे के साथ की जा रही नागरिक कार्रवाइयों, और अदालती दखल के कारण, इस इलाके को साम्प्रदायिक रंग लग चुका है। आरोपियों के परिवारों को बुलडोज़र चलाकर, घरों को सील करके, और आस-पड़ोसियों द्वारा दी जा रही धमकियों और गालियों के ज़रिए सबके सामने सज़ा दी जा रही है। साम्प्रदायिक उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार के कारण, आरोपियों के परिवारों के लोग अपने घरों को वापस नहीं लौट पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने और रहने के लिए रिश्तेदारों का सहारा लेना पड़ा है। एक तरफ परिवार के गिरफ्तार सदस्यों के लिए न्याय की मांग के लिए भटकना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें अपने घरों में वापस आने के लिए साम्प्रदायिक बैरिकेटों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिवारों की औरतों और बच्चों को साम्प्रदायिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, और उन्हें अपनी ज़िंदगी और कमाई दोबारा शुरू करने से रोका जा रहा है।

स्पष्ट है कि सरकारी तंत्र और भीड़ तंत्र के बीच में मुस्लिम परिवार की महिलाएं, बच्चे और दूसरे सदस्य पिस रहे हैं। उन्हें मानव अधिकारों से वंचित करने की कार्रवाईयों को रोक पाने में सरकारी मशीनरी विफल साबित हो रही है। यह भीड़ तंत्र के सामने संवैधानिक संस्थाओं का समपर्ण करने जैसी प्रवृति को दिखाता

है। यह भी दिखाता है कि एक तंत्र घरों के खिलाफ बुल्डोजर का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा तंत्र उन घरों को खाली कराने के लिए साम्प्रदायिक धुव्रीकरण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है।

यह भी आकलन करती है कि घटना से पहले साम्प्रदायिक माहौल बन चुके थे। काल़ॉनियों में आमतौर पर आपस में रोजमर्रे की घटनाएं सामने आती है। 1969 से यहां सभी धर्मों जातियों के लोग रोज ब रोज के विवादों के साथ उनके समाधान के एक सामाजिक ढांचे के साथ शांति पूर्वक रहते आ रहे हैं। विभिन्न जातियों व धर्मों के पड़ोसी के रुप में रहने का चुनाव यहां के लोगों ने अपने स्तर पर ही किया था। किसी ने यह नहीं बताया कि कभी कोई ऐसी वारदात हुई हो या विवाद हुआ हो जिसे साम्प्रदायिक चरित्र का कहा जा सके। लेकिन मार्च में घटना से पहले इस इलाके में साम्प्रदायिक गतिविधियां तेज हुई है। साम्प्रदायिक राजनीति ने अपनी सीधी यहां मौजूदगी बढ़ा दी है। पार्षद आसीवाल पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे लेकिन सत्ता के लिए उन्होने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। उनका इस कालॉनी में भी घर है। इलाके में कई ऐसे पोस्टर बैनर देखे गए जो इंगित कर रहा था कि इस इलाके में पहले से ही हिन्दू संगठनों की मौजूदगी रही है और उनका लगातार प्रोग्राम हो रहा था।18 जनवरी, 2026 को सर्व हिन्दू समाज की तरफ से हस्ताल जे.जे. कॉलोनी में 'हिन्दू सम्मेलन' का आयोजन किया गया था। 22 फरवरी, 2026 को सर्व हिन्दू समाज की तरफ से जनता फ्लैट्स में 'हिन्दू सम्मेलन' का अयोजन का पोस्टर दिखा। उसी जनता फ्लैट्स में 15 मार्चए 2026 को 'आक्रोश सभा' के नाम पर सभा किया गया जिसका मुख्य नारा था- ''ना- हिन्दू कटेगा, ना- हिन्दू बंटेगा''।

5. यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत में नई डिजीटल तकनीक आधारित सोशल मीडिया के विस्तार के साथ सामाजिक तनावों व रोज मर्रे की घटनाओं को राजनीतिक फायदे में तब्दील करने की प्रवृति को बढ़ावा मिला है।पूर्व में साम्प्रदायिकता के लिए अफवाहों को हथियार बनाते देखा गया है। नई तकनीक के आने से पहले प्रेस के जरिये साम्प्रदायिक तनावों को बढ़ाने के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हाल के वर्षों में देश में जितनी भी साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई है , उनमे डीजिटल तकनीक आधारित सोशल मीडिया का दुरुपयोग शामिल रहा है। जैसा कि तरुण के वकील सुमित ने बताया कि उत्तम नगर में तरुण के नाम पर कुछ लोग मोबाईल से चंदा जमा कर रहे थे। वकील के अनुसार जब उन्हें इसका पता चला तो उसकी खबर पुलिस को कर दी और चंदा जमा करने की कोशिशों को बंद करा दिया। वकील सुमित ने इसके साथ यह भी बताया कि दुसरी तरफ (विवाद के दूसरे पक्ष के द्वारा) भी क्यूआर स्कैनर घुमा कर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं ।यह कहते हुए कि मुसलमान भाई को सपोर्ट कीजिये। हमने कई सोशल मीडिया से इस न्यूज को डिलीट कराया।

स्पष्ट है कि साम्प्रदायिकता को आधार बनाकर कई तरह की गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने की प्रवृति बढ़ी है।

निष्कर्ष

1. समाज में लोगों के आपस में मिलने जुलने की संस्कृति सदियों पुरानी है , उसमें एक घर्म के आधार पर आबादी को अलग थलग करने की राजनीतिक कोशिश का एक नतीजा उत्तम नगर की घटना है।

2. समाज में कई तरह के विवाद व मतभेदों को सामान्य माना जाता है और वह रोज मर्रे की समस्याओं की तरह इसके हल आपस में ही कर लिए जाते हैं। लेकिन साम्प्रदायिकरण की राजनीति के विस्तार के लिए सामान्य सी घटनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सामाजिकता के ढांचे का साम्प्रदायिकरण किया जा रहा है और उसके लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है।

3. जिन इलाकों में मिलीजुली आबादी है वहां साम्प्रदायिक राजनीति अपने प्रभाव के लिए रोज मर्रे की घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वैसे दो पक्ष जो कि भिन्न धर्मों से जुड़े हैं यदि उनके बीच आपसी रंजिश की वजह से कोई घटना होती है तो साम्प्रदायिकता के समर्थक व संगठन/संस्था के सदस्य उस रंजिश का भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।

4.साम्प्रदायिकरण की राजनीति के लिए संगठनों के साथ संवैधानिक सत्ता संस्थानों और मशीनरी का इस्तेमाल करने का एक ठोस उदाहरण उत्तम नगर है।

5. दिल्ली की मुख्यमंत्री ने विवाद के दोनों पक्षों के बीच समझौता या संवाद कराने की कोशिश करने के बजाय उस एक पक्ष के समर्थन में खड़े हुई जो कि उनके राजनीतिक लाभ के लिए इलाके में आधार बन सकते हैं।

6. पुलिस ने 7 मार्च को अपना बयान देने के बाद अपना रुख बदल दिया और एकतरफा कारर्वाई में सक्रिय हो गई। यह राजनीतिक दबाव का नतीजा दिखता है। पुलिस को घटना के अनुसार घाराओं में मुकदमा दर्ज करने के नियमों से अलग पुलिस पर तरह तरह की धाराओं को जोड़ने के लिए दबावमूलक स्थितियां तैयार की गई। https://www.bbc.com/hindi/articles/c75ey0e7dy4o एवं

https://news.abplive.com/cities/delhi-uttam-nagar-murder-tensions-for-five-decades-behind-deadly-clashes-1830206

7. नागरिक सेवाओं व संस्थाओं का साम्प्रदायिककरण किया जा रहा है। नगर निगम व नगर पालिकाओं का साम्प्रदायिक सैन्यकरण देश में तेजी से किया जा रहा है। न्यायालय के आदेशों –निर्देशों को अनदेखा करने के लिए ऐसे तर्क निकाले जा रहे हैं जो कि साम्प्रदायिकता में मददगार हो सके।नगर निगम यानी सिविक सेवाओं का सैन्यकरण करने का एक उदहारण उत्तम नगर भी है। न्यायालय के निर्देश के बावजूद निगम ने कुतर्कों का इस्तेमाल कर विवाद में शामिल मुस्लिम परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की।

8. अनुसूचित जाति आयोग का गठन समाज में जातिगत आधार पर उत्पीड़न के खिलाफ जांच और इस संबंध में कार्रवाई के लिए किया गया है। इस संस्था के गठन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। उसका राजनीतिक इस्तेमाल उसकी स्थापना के उद्देश्यों को खंडित करता है। साम्प्रदायिक राजनीति के लिए इस संस्था का दुरुपयोग चिंतित करता है।

9. एन जी टी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की रंगरेज का काम करने वाले परिवारों में चुनिंदा परिवारों के घरों पर नोटिस तो यह दिखाती है कि साम्प्रदायिकरण के लिए मुस्लिम परिवारों के खिलाफ हर स्तर की सरकारी और संवैधानिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

10. घटना का यह पहलू गहन जांच की जरुरत दर्शाता है कि सायरा के ऊपर किसी बच्ची के हाथों से देर रात गुब्बारा सायरा के उपर गिरा या एक 20 साल के युवक ने गंदे पानी का गुब्बारा फेंका था। आरोप है कि इसके बाद उनके साथ बदतमीज़ी भी की गई। प्रिंस को उन प्रदर्शनों में शामिल देखा गया जो कि मुस्लिम परिवारों का घरों में वापस लौटने से रोकने के इरादे से किए गए व अपनी गैर संवैधानिक व गैर कानूनी मांगों के लिए राजनीतिक दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किए गए।

11. समाज में रोजमर्रे के विवाद और समाधान की एक संस्कृति बनी हुई है। 4 मार्च की घटना के बारे में भी तरुण के परिवार से वकील दोस्त ने भी कहा कि 15 मिनट पहले झगड़ा समाप्त हो गया था। सायरा की भतीजी ने भी दावा किया कि दोनों घरों के बड़े-बुजुर्ग आपसी समझौते की बातें कर ही रहे थे। इस तरह समझौते के हालात के बीच राजनीतिक घुसपैठ की स्थितियां कैसी बनी, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।

पीयूडीआर की मांगें:

1. घरों को गिराने की कार्रवाई फ़ौरीतौर पर रोकी जानी चाहिए।

2. पुलिस बाबू खान की शिकायत की जाँच की जानी चाहिए और एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

3. संवैधानिक मशीनरी यह तत्काल सुनिश्चित करें कि जिन परिवारों को आरोपों की वजह से घरों को छोड़ने के लिए विवश किया गया है, वे अपने घरों में वापस आ सकें। यदि उन्हें अपने घरों में वापस नहीं आने देने के लिए साम्प्रदायिक एकजूटता दिखाई जा रही है तो उस हालात में संवैधानिक संस्थाएं मूकदर्शक नहीं रह सकती है। यह नागरिकों के जीने के अधिकार पर कुठाराधात है। आरोप लगने के बाद उनकी जांच और उसकी सुनवाई की एक संवैधानिक प्रक्रिया स्थापित है, उसे स्वभाविक स्तर पर काम करने देना चाहिए।

4. स्थानीय न्यायालय ने रिजवान की पहली जमानत अर्जी को 8 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया था। दूसरी अर्जी पर 30 मई को रिजवान को जमानत पर कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश न्यायालय ने दिया। बच्चों की गिरफ्तारी के प्रति अदालतों से संवेदनशीलता और कानून सम्मत नजरिए की अपेक्षा की जाती है।

5. मुस्लिम परिवारों के घरों में तोड़फोड़ और लूट-चोरी की जांच की जानी चाहिए

6. घटना में पार्षद साहिब कुमार आसीवाल की भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

7. सुप्रीम कोर्ट ने बुल्डोजर से घरों को तोड़ने की कार्रवाईयों पर यह आदेश देकर रोक लगा दी थी कि किसी भी ढांचे को तोड़ने के लिए 15 दिनों पहले नोटिस देनी होगी। बुल्डोजर से साम्प्रदायिकता के आधार पर घरों को तोड़ने की जिस तरह की कारर्रवाईयां भाजपा शासित विभिन्न राज्यों में देखी गई उसी तरह दिल्ली में भी उसे दोहराया जा रहा है और सुप्रीम कोर्टको इस पर अपने स्तर पर संज्ञान लेना चाहिए ।

8. इमरान नाम के एक लड़के को नाम की गलतफहमी के कारण पकड़ा गया है। गलतफहमी में पकड़े गए इमरान को तत्काल रिहा करने के बजाय उसकी रिहाई के लिए पुलिस ने अदालत के आदेश का इंतजार किया गया। चार्जशीट दायर होने के बाद अदालत के आदेश के बाद उसे रिहा किया गया। इमरान को मुआवजा और उसकी गिरफ्तारी के प्रति खेद व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

9. मान सिंह, प्रिंस, तरुण के भाई अरुण की घटना में भूमिका की जांच की जानी चाहिए